


हैण्डलूम मार्क



आश्वस्त मूल उत्पाद

विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार

हैण्डलूम मार्क योजना

पृष्ठभूमि

हथकरघा वस्त्र भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के रूप में सदा से एक पहचान रहे हैं। एक आर्थिक गतिविधि के रूप में हथकरघा क्षेत्र कृषि के बाद दूसरे स्थान पर है जो लोगों को आजीविका का साधन प्रदान करता है। अनुमान है कि हथकरघा उद्योग से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 65 लाख लोगों को रोजगार मिलता है और समूचे भारत में लगभग 35 लाख लूम फैले हुए हैं। वर्ष 2005-06 के दौरान हथकरघा कपड़ों का उत्पादन लगभग 6188 मिलियन वर्ग मीटर था और हथकरघा, मिल तथा पावरलूम क्षेत्र सहित कुल कपड़े/वस्त्र के उत्पादन में वर्ष 2005-06 के दौरान हथकरघा का योगदान लगभग 16% होने का अनुमान है।

ऐसी आशा है कि बढ़ती हुई जनसंख्या और समृद्धि के साथ ही घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय बाजार और अधिक फैलेगा तथा प्रति व्यक्ति खपत भी बढ़ेगी। हथकरघा क्षेत्र छोटे पैमाने पर भी वस्तुओं को व्यावसायिक रूप से उत्पादित करने, नवीनता, नई डिजाइनों को अपनाने में, पूर्तिकर्ता की आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन लाने और अनूठी डिजाइनों का सृजन करने में पावरलूम व मिल क्षेत्रों से कहीं बेहतर क्षमता रखता है।

हथकरघा क्षेत्र के सामने कई चुनौतियाँ हैं। हालाँकि हथकरघों पर मूलतः सूती वस्त्रों की बुनाई की जाती है, भविष्य में धागा खपत पैटर्न में सूती के साथ साथ अन्य रेशों को भी बराबरी का स्थान मिलने का अंदेशा है। प्रौद्योगिकी के विकास के साथ ही हथकरघा उत्पादों की पावरलूमों पर कम से

कम लागत में बड़े पैमाने पर नकल की जा रही है। जहाँ सरकार का प्रयास समूचे वस्त्र उद्योग की एक समान उन्नति के लिए स्थितियाँ तैयार करने पर है, वहीं वह यह भी सुनिश्चित करना चाहती है कि हथकरघा के लिए भलीभाँति परिभाषित और अलग किये गये ऐसे क्षेत्र हो जिन पर पावरलूमों और मिलों द्वारा अधिकार न जमाया जा सके।

हथकरघा विकास आयुक्त कार्यालय, भारत सरकार बुनकरों के हित और कल्याण के लिए बहुत सी विकासात्मक योजनाओं और कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है। 'हैण्डलूम मार्क' लागू करने का भी प्रस्ताव है जो हथकरघा उत्पादों को एक सामूहिक पहचान देगा है और यह न केवल हाथ से बुने उत्पादों को लोकप्रिय करने में बल्कि खरीदार के लिए इस बात की गारंटी के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा कि जो उत्पाद वह खरीद रहा है वह सचमुच हाथ से बुना गया है। इसके अलावा इस मार्क से उत्पाद या विनिर्माता के नाम की स्पष्ट रूप से पहचान होगी। इस तरह हैण्डलूम मार्क एक सशक्त रचनात्मक कार्य का प्रशस्ति-चिन्ह बन जायेगा जो स्पष्ट रूप से उत्पाद को परिभाषित करता है, उसे प्रतिस्पर्धा से अलग एक पहचान दिलाकर ग्राहकों से जोड़ता है।

हैण्डलूम मार्क

हैण्डलूम मार्क तैयार करने का कार्य राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद को सौंपा गया था । इसके लोगो का आकार- प्रकार ताने और बाने धागों के अंतर्गुथन से प्रेरित है । ये धागे उन सहयोगी संस्थानों का संकेत हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया है, और उन बुनकरों का जो अपना कौशल प्रदान करते हैं । इन दोनों के बीच तालमेल से एक घनिष्ठ नेटवर्क निर्मित हो रहा है । ताना और बाना को ऐसा गठित किया गया है जिससे एक 'घन' का आकार बन जाता है ।

यह मार्क दो रूपों में है । एक घरेलू उपयोग के लिए : इसमें लोगों के नीचे हैण्डलूम लिखा हुआ है और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय उपयोग के लिए : उसी लोगों के नीचे हैण्डवूवन इन इंडिया (भारत में हाथ से बुना) लिखा गया है ।

लोगो	लोगो
------	------

योजना के आधारभूत नीतिगत प्रावधान :

दिनांक 7 अप्रैल 2006 को घोषित विदेश व्यापार नीति 2004-2009 के वार्षिक अनुपूरक में उल्लेख है कि "योजना में अधिसूचित उत्पादों जैसे मूल्य वर्धित मछली और चमड़ा उत्पादों, स्टेशनरी वस्तुओं, पटाखों, खेल के सामानों, हैण्डलूम मार्क वाले हथकरघा उत्पाद और हस्तकला वस्तुओं के निर्यात कारोबार के 50% को निर्यात के एफओबी मूल्य के 2.5% की दर से इ्यूटी क्रेडिट सुविधा दी गयी है ।"

हैण्डलूम मार्क का विवरण

- सर्टिफिकेशन ट्रेड मार्क के पंजीकरण के लिए ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1999 और साथ ही कॉपीराइट के लिए कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के अंतर्गत आवेदन-पत्र बनाया गया है ।
- आसानी से पहचान/वर्गीकरण के लिए प्रत्येक लेबल को उसके पीछे कोड दिया गया है । उदाहरण : घरेलू बिफ्री के लिए कपड़े हेतु **डीएफ** और उसके बाद कोड संख्या, घरेलू बिफ्री के लिए मेड-अप और गारमेंट हेतु **डीएम** और उसके बाद कोड संख्या ; निर्यात कपड़े के लिए **ईएफ** और उसके बाद कोड संख्या तथा निर्यात के लिए मेड-अप और गारमेंट हेतु **ईएम** और उसके बाद कोड संख्या ।

लोगो	लोगो	लोगो	लोगो
------	------	------	------

--	--	--	--

लेबल लगाने का तरीका :

- एक लेबल हाथ से बुने कपड़े से बनायी प्रत्येक मेड-अप वस्तु और प्रत्येक गारमेंट पर लगाया जायेगा । उपयोगकर्ता लेबल को बांध कर या सिलकर लगा सकते हैं ।
- हथकरघे से बुने कपड़े के मामले में एक लेबल कपड़े की तह (थान) के अंदरूनी छोर पर लगाया जायेगा ।
- जब कपड़ा ग्राहक को फुटकर (रिटेल) में बेचा जायेगा तब फुटकर विक्रेता कपड़े के कट-पीस पर लेबल लगायेगा ।

कार्य - क्षेत्र

- योजना में हथकरघे से बने सभी कपड़ों व उत्पादों को शामिल किया गया है।
- हैण्डलूम मार्क योजना पूरे देश में लागू होगी । वैयक्तिक बनुकर, एपेक्स और प्राथमिक हथकरघा बुनकर को-ऑपरेटिव सोसायटियाँ, मास्टर बुनकर, हथकरघा विकास निगम, फुटकर विक्रेता और निर्यातक योजना में भाग लेने के हकदार हैं और उससे लाभान्वित हो सकते हैं ।

उद्देश्य :

- घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देना ।

- उत्पाद के उद्गम (ओरिजिन) की वास्तविकता के बारे में ग्राहकों को आश्वासन देना ।
- हथकरघा बुनकरों की अंतर्राष्ट्रीय विपणन श्रृंखलाओं को सुधारना ।
- हथकरघा उत्पादों की पूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) मजबूत बनाना ।
- घरेलू के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हथकरघा उत्पादों की मूल्य उगाही (प्राइज रियलाइजेशन) को बहेतर बनाना ।
- हथकरघा बुनकर समुदाय की आय में सुधार करना ।
- हथकरघा बुनकरों के लिए वर्ष भर बिना रुकावट कार्य उपलब्ध कराना ।
- हथकरघा आपूर्ति और बुनकरों पर डाटाबेस तैयार करना जिससे वर्तमान में भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के माध्यम से और भविष्य में योजनाएँ बनाकर बुनकरों को सहायता दिया जाए ।

योजना का कार्यान्वयन :

वस्त्र समिति को देश भर में हैण्डलूम मार्क योजना को कार्यान्वित करने के लिए इम्प्लिमेंटेशन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है ।

हैण्डलूम मार्क प्राप्त करने की रीतियाँ

- आवेदन-पत्र (फार्म) वस्त्र समिति के कार्यालयों से प्राप्त किये जा सकते हैं ।
- योजना के दुरुपयोग से बचने के लिए आवेदकों का पंजीकरण वैयक्तिक बुनकरों, एपेक्स और प्राथमिक हथकरघा बुनकर को-ऑपरेटिव सोसायटियों, मास्टर बुनकरों, हथकरघा विकास निगमों, फुटकर हथकरघा विक्रेताओं और निर्यातकों के कार्यस्थल पर सत्यापन के पश्चात किया जायेगा ।
- पात्र हथकरघा बुनकरों, मास्टर बुनकरों, सोसायटियों, फुटकर विक्रेताओं और निर्यातकों को आवश्यक शुल्क का भुगतान करने के पश्चात पंजीकृत किया जायेगा उसके बाद एक समझौते पर हस्ताक्षर किये जायेंगे ।
- निर्यातकों को छोड़कर लेबलों की पूर्ति अनुमानित वार्षिक उत्पादन एवं बिक्री के आधार पर की जायेगी (निर्यातकों को तिमाही आधार पर पूर्ति की जायेगी ,)
- निर्यातकों के मामले में शुरुआती सत्यापन पिछले वर्ष के कार्य%निष्पादनों पर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के प्रमाण-पत्र पर आधारित होगा ।
- पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को मासिक विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

क्र.सं	उपयोगकर्ताओं का विवरण	प्रतिवर्ष पंजीकरण शुल्क
1	वैयक्तिक हथकरघा बुनकर	रु.100/-
2	मास्टर हथकरघा बुनकर	रु.2000/-
3	प्राथमिक हथकरघा बुनकर को.ऑप.	रु.2000/-

	सोसायटी	
4	एपैक्स हथकरघा बुनकर को.ऑप. सोसायटी और हथकरघा विकास निगम	रु.5000/-
5	ट्रेडर/फुटकर विक्रेता (घरेलू बाजार)	रु.5000/-
6	विनिर्माता निर्यातक (निर्यात बाजार)	रु.10,000/-
7	व्यापारी निर्यातक (निर्यात बाजार)	रु.10,000/-

लेबल का मूल्य :

हैण्डलूम मार्क लेबल पॉलिएस्टर टाफेटा मटेरियल से बनाये जाते हैं । ये लेबल ऐसे स्रोतों से प्राप्त किये जायेंगे जो इकोटेक्स (OEKOTEX) 100 स्टैण्डर्ड द्वारा विधिवत प्रमाणित हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों की इको-फ्रेंडली आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं । प्रत्येक लेबल का मूल्य रु.125/- होगा । पंजीकृत उपयोगकर्ता उनके निर्धारित उत्पादन/बिक्री क्षमता के अनुसार लेबलों को खरीदने के हकदार होंगे ।

लागू करने के कदम :

- पदाधिकारियों के दल द्वारा निश्चित कालांतर में निगरानी (Surveillance) लेखा परीक्षण ।
- बाजार से नमूना खरीद के द्वारा हैण्डलूम मार्क उत्पादों का अनियमित सत्यापन भी किया जायेगा ।

- विनिर्माता जब व्यापारी निर्यातकों, फुटकर विक्रेताओं आदि को हथकरघा उत्पादों की पूर्ति करेंगे तब उन्हें अन्य आवश्यक व्यावसायिक दस्तावेजों के साथ-साथ एक स्व-प्रमाणपत्र भी देना पड़ेगा कि उत्पाद हथकरघे पर विनिर्मित किया गया है ।
- इसके अलावा हैण्डलूम मार्क के दुरुपयोग के लिए वस्त्र समिति और पंजीकृत उपयोगकर्ता के बीच हुए समझौते में दंड की धाराएँ होंगी ।
- + पहली धारा से प्राथमिक जाँच के बाद उपयोगकर्ताओं का पंजीकरण रद्द किया जायेगा, इसके बाद तुरंत लेबलों को आगे की जानेवाली पूर्ति रोक दी जायेगी ।
- + दूसरी धारा से ट्रेडमार्क्स अधिनियम, 1999 के अध्याय XII में दिये प्रावधानों के अनुसार व्यक्ति/व्यवसायिक संस्था के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी । इसमें जेल की सज़ा शामिल है जो छह माह से कम नहीं होगी लेकिन जो तीन वर्ष तक बढ़ सकती है और इसके साथ जुर्माना भी है जो पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा लेकिन जो दो लाख रुपये तक बढ़ सकता है । दूसरी बार और आगे भी दोषी पाये जाने पर दंड और बढ़ेगा ।
- + तीसरी धारा से कॉपीराइट, 1957 के अध्याय XIII में दिये प्रावधानों के अनुसार व्यक्ति/सत्ता के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी । दंड का प्रकार ट्रेडमार्क्स अधिनियम, 1999 के समान ही होगा ।

उपभोक्ता से संबंधित :

यदि किसी उपभोक्ता को हैण्डलूम मार्क का लेबल लगे किसी उत्पाद की प्रामाणिकता के विषय में संदेह हो तो वह बिल की प्रति और कोड नंबर के साथ वस्त्र समिति से संपर्क कर सकता है। खोज के बाद निष्कर्षों के आधार पर वस्त्र समिति, ट्रेडमार्क्स अधिनियम, 1999 के अनुसार और उपयोगकर्ताओं द्वारा किये गये समझौते के अनुसार कार्रवाई करेगी । उपभोक्ता न्यायालय में जाने का विकल्प भी उपभोक्ता के पास है । इस बात को मीडिया के माध्यम से अच्छी तरह प्रचारित किया जायेगा ।

वस्त्र समिति, कार्यान्वयन एजेंसी के बारे में :

वस्त्र समिति एक सांविधिक निकाय है जो भारतीय वस्त्र उद्योग में गुणवत्ता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1963 में संसद के अधिनियम के तहत स्थापित की गयी है । समिति की सेवाएँ देश भर में स्थित 31 कार्यालयों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं जिनमें 600 पदाधिकारी योगदान देते हैं। इनमें से 400 तकनीकी योग्यता रखते हैं । ये कार्यालय निम्नांकित स्थानों पर हैं ।

<p>सदस्य - सचिव, वस्त्र समिति पी. बालू रोड, प्रभादेवी चौक, प्रभादेवी, मुंबई-400 025. टेलीफोन : 022+66527507,66527500 फैक्स: 022-66527509 ई-मेल: secy@giasbm01.vsnl.net.in</p>	<p>वस्त्र समिति, क्षेत्रीय कार्यालय ऑफिस नं. 52, चौथी मंजिल, मरीन ड्राइव, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, जी.सी.डी., शन्मुघम रोड, कोचीन-682031</p>	<p>वस्त्र समिति, क्षेत्रीय कार्यालय प्लॉटिनम सेंटर, दूसरी मंजिल, बैंक रोड, कण्णूर-670001 टेलीफोन नं. 0497/2706390 ई मेल: cnn_tccan@sancharnet.in</p>
<p>वस्त्र समिति, क्षेत्रीय कार्यालय "अंकुर", दीनाबाई टॉवर के सामने, मिर्जापुर रोड, लाल दरवाजा, अहमदाबाद- 380001 टेलीफोन नं. 079/5507612 फैक्स नं. 079/5507633 ई मेल : tcabd@eth.net</p>	<p>वस्त्र समिति, क्षेत्रीय कार्यालय क्वालिटी कंट्रोल ऑफिस बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, इंडस्ट्रियल इस्टेट, बामुनी मैदान, गुवाहाटी-781021(असम)</p>	<p>वस्त्र समिति, क्षेत्रीय कार्यालय "वृन्दावन", पहली मंजिल, 744, वेस्ट हाई कोर्ट रोड, धरम पेठ, नागपुर-440010 टेलीफोन नं. : 0712/2561584 ई मेल: tcnagpur_ngp@sancharnet.in</p>
<p>वस्त्र समिति, क्षेत्रीय कार्यालय (एफ के सी सी आई, डल्यू टी सी बिल्डिंग), पहली मंजिल, केम्पेगोवाडा रोड, बंगलौर- 560009 टेलीफोन/फैक्स नं.:080/2261401. ई मेल: tcblr@vsnl.net</p>	<p>वस्त्र समिति, क्षेत्रीय कार्यालय रो हाउस नं.3, 6-3-247, महेश्वरी टावर, बंजारा हिल्स, रोड नं.1, हैदराबाद- 500034 टेलीफोन / फैक्स नं. 040/23327153 ई मेल: tchyd@vsnl.net</p>	<p>वस्त्र समिति, क्षेत्रीय कार्यालय 39, कम्युनिटी सेंटर, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली - 110065. टेली/फैक्स नं.011/26483476 ई मेल: tcdek@vsnl.net</p>
<p>वस्त्र समिति, क्षेत्रीय कार्यालय उड़ीसा स्टेट हैण्डलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि., स्तन्ता भवन, जनपथ, यूनिट IX, भुवनेश्वर-751007 टेलीफोन नं: 0674/2543723, ई मेल : tcbsr@sify.com</p>	<p>वस्त्र समिति, क्षेत्रीय कार्यालय एन/एस/ओ/2, नेहरु प्लेस, टॉक रोड, जयपुर-302015 टेलीफोन नं. 0141/2405234 ई मेल: tcjaipur@sancharnet.in</p>	<p>वस्त्र समिति, क्षेत्रीय कार्यालय 41, कम्युनिटी सेंटर, फेज-1, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-110028 टेलीफोन/फैक्स नं.011-25795241 ई मेल: tcnarain@vsnl.net</p>
<p>वस्त्र समिति, क्षेत्रीय कार्यालय नॉर्थ विंग, पहली मंजिल, टी एन एस सी बोर्ड कॉम्प्लेक्स, 212, आर. के. मठ रोड, मैलापुर, चेन्नई- 600004.</p>	<p>वस्त्र समिति, क्षेत्रीय कार्यालय "कृष्ण कृपा", प्लॉट नं.48, 11वाँ पाल रोड, सरदारपुरा, जोधपुर -342003 (राजस्थान)</p>	<p>वस्त्र समिति, क्षेत्रीय कार्यालय शिव कॉम्प्लेक्स, असन्ध रोड, रेल्वे क्रॉसिंग के पास, पानीपत- 132103.</p>

<p>टेलीफोन नं.: 044/24610887 फॅक्स : 044/24640740 ई मेल: tc_chennai@satyam.net.in</p>	<p>टेलीफोन नं. 0291/2610578 ई मेल: jodhpurtc@sancharnet.in</p>	<p>टेलीफोन नं. 0180/2658324 ई मेल: tcpanipat@eth.net</p>
<p>वस्त्र समिति, क्षेत्रीय कार्यालय पहली मंजिल, कलिंग निलयम, 495-496, त्रिचि मेन रोड, गुगई, सेलम-636 006. टेलीफोन नं.0427-2467740 ई मेल: tcsalem@sancharnet.in</p>	<p>वस्त्र समिति, क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा:आन्ध्र प्रदेश कॉटन मिल्स असोसिएशन, लक्ष्मी परम मेन रोड, गुंतुर-522 007(आन्ध्र प्रदेश) टेलीफोन नं.:0863-2218951. ई मेल:tcguntur@sify.com</p>	<p>वस्त्र समिति, क्षेत्रीय कार्यालय 11-बी, जवाहर रोड, चोक्कीकुलम, मदुराई- 625002. टेलीफोन/फॅक्स नं. 0452/2323303 ई मेल: tcmdu@satyam.net.in</p>
<p>वस्त्र समिति, क्षेत्रीय कार्यालय राज चेंबर्स, 978 ए, थडगम रोड, कोयम्बतूर-641002. टेलीफोन नं. 0422/2473094 फॅक्स नं. 0422/2472689 ई मेल: tccbe@eth.net</p>	<p>वस्त्र समिति, क्षेत्रीय कार्यालय 117/Q/52, शारदा नगर (काकदेव), सिडिकेट बैंक के पास, कानपुर- 208025. टेलीफोन नं.: 0512/2581464 टेली/फॅक्स नं.: 0512/2582458 ई मेल: tckanpur@dataone.in</p>	<p>वस्त्र समिति, क्षेत्रीय कार्यालय 162/11,रेल्वे लाइन्स, सोलापुर-423001 टेलीफोन नं. 0217/2312698 ई मेल : tcsolapur@sancharnet.in</p>
<p>वस्त्र समिति, क्षेत्रीय कार्यालय 3/108, एम.जी.रोड, (मेन रोड), इकम्बरकुप्पम- 517 592, नागरी मण्डलम, जिला-चित्तूर (आंध्र प्रदेश), टेलीफोन नं.:08577-234619 ई-मेल: texcomnri@sify.com</p>	<p>वस्त्र समिति, क्षेत्रीय कार्यालय केवीआर काम्प्लेक्स, दूसरी मंजिल, 21- जे, 80 फीट रोड, करुर - 639002. टेलीफोन/फॅक्स नं. 04324/274871 ई मेल: kru_tckarur@sancharnet.in</p>	<p>वस्त्र समिति, क्षेत्रीय कार्यालय ब्लॉक नं. 2(ए), दूसरी मंजिल, रेशम भवन, लाल दरवाजा, सूरत-395003 टेलीफोन नं. 0261/2423167 ई मेल : tcsurat@yahoo.com</p>
<p>वस्त्र समिति, क्षेत्रीय कार्यालय हॉल नं.1, वार्ड नं.10, राजाराम स्टेडियम, शिवाजी पुतला के निकट, इंचलकरंजी- 416115. टेलीफोन नं. : 0230/2420838. 9ई मेल : tcich@sancharnet.in</p>	<p>वस्त्र समिति, क्षेत्रीय कार्यालय ब्लॉक-जी.एन, प्लॉट-38/3 सेक्टर -V, सॉल्ट लेक सिटी, कोलकाता-700 091 टेलीफोन नं.:033-23575202, 23575155 फैक्स : 033 -23575202 ई मेल :tccal2@vsnl.net</p>	<p>वस्त्र समिति, क्षेत्रीय कार्यालय 205,बी. एस. सुंदरम रोड, डी. एल. एम. जिनिंग एण्ड प्रेसिंग फॅक्टरी, तिरुपुर-641601 टेली/फॅक्स नं. 0421/2202500 ई मेल: tctirupur@eth.net</p>
<p>वस्त्र समिति, क्षेत्रीय कार्यालय सी- 1, एफ - टाइप, इंदिरा काम्प्लेक्स, विकास टावर, ए.बी. रोड, नवलखा, इंदौर- 452001 टेलीफोन नं.: 0731/2401243. ई मेल: tcindore@vsnl.net</p>	<p>वस्त्र समिति, क्षेत्रीय कार्यालय 48-बी, टैगोर नगर, सिविल लाइन्स, लुधियाना - 141001. टेलीफोन/फॅक्स नं. 0161/2474906. ई मेल: tcludhiana@satyam.net.in</p>	<p>वस्त्र समिति, क्षेत्रीय कार्यालय ईयूपीईए, बी - 2, गुरुकृपा कालोनी, नादेसर, वाराणसी - 221002.</p>

विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार,
उद्योग भवन, नई दिल्ली-110 011
टेलीफोन: 011+ 23062945/23063397/23061865,
फॅक्स: 011+23062429/23061580/23063744
ई-मेल: dchl@nic.in

वस्त्र समिति

पी. बालू रोड, प्रभादेवी चौक, प्रभादेवी,
मुंबई-400 025.
टेलीफोन : 022+66527510/66527521
ई-मेल: secy@giasbm01.vsnl.net.in/tciso@vsnl.com